



# मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

CIN: U40109MP2001SGC014880

रजिस्टर्ड आफिस : ब्लाक नं. 2 शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर(म.प्र.) 482008 दूरभाष : (0761) 2702036, 2702041  
फैक्स:(0761) 2664450, e-mail:ce.ca@mptransco.nic.in,



क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/III/1936

दिनांक 23 JUN 2017

परिपत्र


4449  
24/06/17

म.प्र.राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग का प्रतिवेदन एवं अनुशंसाएँ- 2015।

S.E. (Plg.&Design)	विषय-
S.E. (Plg.)	
S.E. (PS) / (Design)	
S.E. (PSS)	
E.E. (SSO) / (LD) / (P)	
E.E. (Plg. I) / (P)	क्रमांक
A.E. (EA) / (LM) को लागू	
S.O.	क्र.340

म. प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 4619/2015/तेरह दिनांक 02.07.2015. एवं 2684 दिनांक 27.04.2017 के माध्यम से म.प्र.राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग द्वारा अनुशंसाओं को लागू किये जाने सम्बंधी निर्देश प्राप्त हुये थे। इस कार्यालय के यू.ओ.नोट क्रमांक 526 दि.14.07.2015 एवं दि. 08.03.2017 के माध्यम से निर्देशों के परिपालन हेतु अवगत कराया गया था। विभाग प्रमुखों से अनुरोध है कि वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग की उपरोक्त पत्रों में उल्लेखित निम्न प्रमुख अनुशंसाओं के साथ अन्य अनुशंसाओं का पालन अधीनस्थ कार्यालयों में सुनिश्चित कराया जावे:-

1. विभाग के जिन कर्मचारियों/ अधिकारियों की विभागीय जाँच जारी है, उस जाँच प्रकरण का निराकरण सम्बंधित की सेवानिवृत्ती से पहले किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस हेतु जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी कि वह समीक्षा कर देखें की उस वर्ष सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों/ कर्मचारियों की विभागीय जाँच के प्रकरणों का अंतिम रूप से निराकरण हुआ है कि नहीं, ताकि संबंधित को सेवानिवृत्ती के पश्चात् भटकना न पड़े।
2. सभी शासकीय अधिकारियों को निर्देश दिया जावे की वे न्यायिक/ अर्धन्यायिक प्रकरणों की सुनवाई में पीठारहीन अधिकारी वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दें !
3. सभी विभाग जिले से राज्य स्तर तक अपने विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची संधारित करेंगे डायरेक्ट्रियों में पीछे के पन्नों में सेवा निवृत्ति अधिकारियों के फोन नंबर व पते दिये जा सकते हैं। साथ ही प्रत्येक विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारियों की सूची तैयार रख सकता है जो सेवा निवृत्ति के उपरांत पूर्णकालीन/ अंशकालीन एवं मौसमी अपनी सेवाएं अपने विशेषज्ञता के क्षेत्र में देने के इच्छुक हों।
4. सभी विभागों के सेवानिवृत्त अधिकारियों/ कर्मचारियों की पृथक कमेटीयाँ बनाई जायें, जो समय-समय पर विभाग में कार्यरत अमले को अपने सेवानुभावों का लाभ दे सकें। समस्याओं के निराकरण में सहयोग कर सकें एवं बदली स्थिति में नई योजनाओं की आवश्यकता व स्वरूप पर सुझाव दे सकें।

  
मुख्य अभियंता (कंपनी मामले)

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/III/1936

दिनांक 23 JUN 2017

प्रतिलिपि-

1. कार्यपालक निदेशक (मा.स.वि.)/ (सी.आर.ए.) म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
2. मुख्य अभियंता (अउदा-निर्माण) / (प्रो.क.योरमेंट-मॉनिटरिंग) / (योजना एवं रूपांकन) / (अउदा-संधारण-निरीक्षण) / (राज्य भार प्रेषण केन्द्र) / (टी.एण्ड सी.) / (पारिषण-पूर्व क्षेत्र) / मध्य क्षेत्र / पश्चिम क्षेत्र) म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर/भोपाल/इन्दौर।
3. मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (आई.टी.-ईआरपी) / (संचा-संधा) / (प्रोजेक्ट-लाईन) / (प्रोजेक्ट-सब स्टेशन) म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।

web

5. अधीक्षण अभियंता (परीक्षण एवं संचार) / (अउदा-निर्माण) / (अउदा-संचारण) / (400के.व्ही. उपकेन्द्र) वृत्त, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., ..... ।
6. कार्यपालन अभियंता(परीक्षण) / (संचार) / (अउदा-निर्माण) / (अउदा-संचारण) / (ट्रांस-भंडार) / (400के.व्ही. परीक्षण) / (सीहोर वर्कशाप) संभाग, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., ..... ।
7. निज सचिव संबद्ध प्रबंध निदेशक, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर ।
8. निज सहायक संबद्ध निदेशक (तकनीकी), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर ।
9. कंपनी सचिव / कल्याण अधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर ।
10. क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर / भोपाल / इन्दौर /
11. आदेश फाइल ।
12. वेब मास्टर-कंपनी की बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

Gourav

अधीक्षण अभियंता-एक  
कार्यालय:- मुख्य अभियंता (कंपनी मामले)